(199)

(25) 306

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल कैम्प रीवा म0प्र0,

R. 5037-दो/15

COURT FEE 20 Rs. INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

1. रंगदेव सिंह तनय स्व0 जयपाल सिंह गोड़,
2. मंगल सिंह उर्फ रामनिवास सिंह तनय स्व0 जयपाल सिंह,
3. रामलल्लू तनय स्व0 जयपाल सिंह गोड़,
4. श्रीमती गुजरतिया पत्नी स्व0 जयपाल सिंह गोड़,

सभी निवासी ग्राम खड़ौरा तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0,

..................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती लल्ली सिंह पत्नी स्व0 कमलभान सिंह गोड़,
2. शांती सिंह उर्फ छबिलिया पुत्री स्व0 अमोल सिंह,

दोनों निवासी ग्राम खड़ौरा तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0,

..................उत्तरवादीगण

कामताप्रसाद गुप्ता एड के दिनांक 8-9-15 किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्रीमान् न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक-291/निगरानी/2011-12 आदेश दिनांक-27.07.2015,

....

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0,

....

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

रंगदेव सिंह

XXXIX(a)-BR(H)-11

199

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R**–5037-**II** / 15 जिला–सीधी

रंगदेव सिंह / लल्ली सिंह व अन्य

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कामता प्रसाद गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 291 / निग0 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	